

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) प्रतापगढ़(राज)



सम्बन्धित संस्था प्रधान इनका काव्यठन परवान है।

- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अधिकारी का राजबालत जला तुलसी जलाने के दूर प्रदल्ल वरित्र संबंधित सदाचरण रिपोर्ट एवं राक्षम विकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वरक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अधिकारी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कानिकों द्वारा यह आवश्यक नहीं होगा।
  - जार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1) डीओपी०/ए-॥/९५ दिनांक ०८.०४.२००३ के अनुसार सम्बन्धित अधिकारियों से दिनांक ०१.०६.२००२ को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के कलस्वरूप कल संतानों की संख्या २ से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र ५०/- रुपये के नौन ज्यूडिशियल स्टॉप पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
  - विवाहित अधिकारियों के मामले में विवाह पंजीयन अनेवारी करने संबंधी आशय का ५०/-रु के नौन ज्यूडिशियल स्टॉप पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
  - आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिया जाने का स्वघोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
  - कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेज से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई गिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजायायी जावे।
  - यदि किसी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकूद प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाप्रधान से हस्ताक्षरित नहीं है तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर सम्बन्धित संस्थाप्रधान के हस्ताक्षरित एवं प्रमाणीकरण की पुष्टी करने एवं उसकी सत्यापित प्रतीत अभिलेख में रखने के उपरान्त ही कार्यग्रहण कराया जावे।
  - अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाना चाहिए एवं नियमानुसार राक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि 'अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त राक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये।' यदि कोई अधिकारी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आया है तो उनका आवेदन अद्वितीय कार्यवाही द्वारा इस कार्यालय को भिजायाये।
  - अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा ब्रदल नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर ही जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के नामों में यदि पति के नाम एवंग पति की आय के आधार पर आय प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अधिकारी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् बना हुआ हो प्रतुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा उराके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना प्रिजावायी जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर लगाने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
  - कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अधिकारी को गूल आवेदन पत्र/नियुक्ति आदेश चरण छायाचित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वही अधिकारी कार्यग्रहण करें, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चर्पा है।
  - वर्धनित अधिकारियों की नियुक्ति एतदिविषयक प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में नाननीय उच्च न्यायालय/ विभिन्न न्यायालयों में दिचाराधीन, विभिन्न याधिकारी, अधीकारी और अधीकारी के अध्यधीन रहेंगी।
  - कार्यग्रहण कराने से जैव अधिकारी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधित समर्त दस्तावेजों की जौच आवश्यक रूप से कर लेये।
  - वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:- एफ12(9)एफडी (लल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोवेशन ट्रैनी के फिक्स रेमनेशन से पैशन अंशवान की कठौती नियमानुसार करनी होगी।

26/02/21

13. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेते कि उसके द्वारा प्रत्युत्त सूचना एवं वस्तावेज रखी जाएगी। इनके चुटीपूर्ण, इनके जाली अथवा कुट रखित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निररत की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
14. इन कार्मिकों को परीविष्टाधीन प्रशिक्षण अवधि में फिल्ड रेस्नरेशन के अधिकारित अन्य किसी प्रकार के गत्ते, महाराष्ट्र, भूत्ता, महाराष्ट्र वेतन, मकान किराया भूत्ता, विशेष वेतन, बोनस आदि देव नहीं होंगे। परीविष्टाधीन महाराष्ट्र में राज्य बीना, सामान्य ग्रावधारी निविं की कटौतिया नियमानुसार नहीं होंगी।
15. आशार्थी के परीविष्टाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन पृष्ठि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
16. परीविष्टाधीन अवधि में इन्हें ललेप्तर वर्ष में 15 दिन का ही आलरिग्क अवकाश देय होगा। पूर्ण केलेप्तर वर्ष से कर्न अवधि होने पर पूर्ण भाष्ट के आधार पर अवकाश अनुज्ञा दी जावेगी।
17. पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करते समय निम्न अभिलेख सम्बन्धित अधिकारी को प्रत्युत्त करना होगा।

- सक्षम चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
- योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका की सत्यापित प्रतियाँ
- पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी राजस्थान का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
- आवेदक द्वारा दहेज न लिए जाने का स्व घोषणा पत्र
- आवेदक द्वारा धूमपान/गद्दापान नहीं करने एवं गुटखा नहीं खाने का रख घोषणा पत्र।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 09.03.2021 तक कार्यग्रहण करना। इनके अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः निरुत्त माना जावेगा। इनकी कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय की व्यवस्था की जावे एवं शाला दर्शन पर इनकी सूचना अपडेट करें।

(किशनलाल कोली)  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय)माध्यमिक प्रतापगढ़

दिनांक-जिश्वल/माध्यम/प्रताप/संस्था/शासि ग्रेड- । । । /नियुक्ति/2021/ 1824 दिनांक 26.2.2021

- प्रतिलिपि निम्न को रूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
  2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव शिक्षा (प्रूप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
  3. श्रीमान शासन उप सचिव (प्रूप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
  4. श्रीमान शासन उप कार्मिक (प्रूप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
  5. श्रीमान सचिव कर्मचारी चयन आयोग जयपुर।
  6. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोकानेर।
  7. श्रीमान रायुक्त निदेशक रकूल शिक्षा, उदयपुर समाग उदयपुर।
  8. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समझ शिक्षा प्रतापगढ़।
  9. श्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी .....।
  10. संबंधित पौईडॉ.....।
  11. संबंधित संस्था प्रधान.....।
  12. संबंधित आशार्थी।
  13. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
  14. रक्षित पत्रावली

26/2/21  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय)माध्यमिक प्रतापगढ़

# કાર્યાલય જિલ્લા શિક્ષા અધિકારી મુખ્યાલય (માધ્યમિક) પ્રતાપગઢ

ક્રમાંક - જોડિઓ / નાયારુ / પ્રતાપ / રાણ્યા / શાસી પ્રેર્ણ - ૧ ૧૧૧ / નેચ્યાન્ટ / ૨૦૨૧ /

૧૩૨૪

દિનાંન 26.02.

26/02/2021

સાથે કા આંદો

સિફ્ર નંબર	MERIT	NAME	FNAME	DOB	DATE	SEL CAT	ADDRESS	દિનાંન કાર્ય	આંદો કા આંદો
1	15560	HARLAL	SARDAR SINGH	10/07/1997	ST	ST	VILLAGE SARHJI MILAN ૨૦૫૧ SUWALA THE RASIDORRA DISTT BANSWARA ૩૨૭૬૦૧	GUPS Kharakhada Arnod	
2	15888	RHERULAL CHARPUTA	VITHLAJI CHARPUTA	05/05/1982	ST	ST	V/P AMARTHUN THE GHATOL DISTT BANSWARA PIN ૩૨૭૦૨૩	GOVT. SECONDARY SCHOOL JAGLAWADA	
3	15291	MANSHANKER DAMOR	SHANTILAL DAMOR	25/12/1987	ST	SI	VILLAGE GILPAN POST POHRI PATELAN THE JHOTHARI DISTT DUNGARPUR ૩૧૪૪૦૨	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHANDALA	

(દિશાનિલ કોર્ટી)  
જિલ્લા શિક્ષા અધિકારી  
(મુખ્યાલય) માધ્યમિક પ્રતાપગઢ

૧૩૨૪